न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 183/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. रजि. कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी राकेश शर्मा

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स होटल श्री प्रभू रेस्टोरेंट जरिये प्रोपराईटर सांवर मल पुत्र प्रभू दयाल चौधरी**
   प्रथम पताः– नीम का थाना रोड़, गढ़टकनेत, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान
   द्वितीय पताः– खसरा नं. 1817/3, ग्राम गढ़टकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान
2. **सांवर मल पुत्र प्रभू दयाल चौधरी,** 691, बाग वी कांजी वाली, गढ़टकनेत, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332701
3. **बनवारी लाल चौधरी पुत्र प्रभु दयाल चौधरी,** वार्ड नं. 12, ढाणी बागवाली, गढ़टकनेत, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332701
4. **अनिता देवी पत्नी सांवर मल,** वार्ड नं. 12, ढाणी बागवाली, गढ़टकनेत, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान 332701

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * सीकर (राज.) *

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 27 अक्टूबर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मयंक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मैसर्स होटल श्री प्रभू रेस्टोरेंट जरिये प्रोपराईटर सांवर मल पुत्र प्रभू दयाल चौधरी, सांवर मल पुत्र प्रभू दयाल**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

चौधरी, बनवारी लाल चौधरी पुत्र प्रभु दयाल चौधरी एवं **अनिता देवी पत्नी सांवर मल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सांवर मल पुत्र प्रभू दयाल** के स्वामित्व की बंधक अचल संपरिवर्तित वाणिज्यिक सम्पत्ति जो कि भूमि **खसरा नं. 1817/3, ग्राम गढ़टकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान** में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर** है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹55,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचपन लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **23.04.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **23.04.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मैसर्स होटल श्री प्रभू रेस्टोरेंट जरिये प्रोपराईटर सांवर मल पुत्र प्रभू दयाल चौधरी, सांवर मल पुत्र प्रभू दयाल चौधरी, बनवारी लाल चौधरी पुत्र प्रभु दयाल चौधरी** एवं **अनिता देवी पत्नी सांवर मल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सांवर मल पुत्र प्रभू दयाल** के स्वामित्व की बंधक अचल संपरिवर्तित वाणिज्यिक सम्पत्ति जो कि भूमि **खसरा नं. 1817/3, ग्राम गढ़टकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान** में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर** है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **27 अक्टूबर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर